सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण : संजीव खुदशाह

जब से सवर्णों को 10% आरक्षण का मामला आगे बढ़ा है और जल्दबाजी में संविधान संशोधन और आरक्षण का बिल पास किया गया, यह घटना हैरान करने वाली है। बहुत सारे लोग इस घटना से प्रतिक्रिया विहीन हो गए हैं। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरी हो सकती है। इस बिल को समर्थन देने के लिए। लेकिन बहुत सारे प्रश्न इस बिल के साथ में खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या भाजपा को सवर्ण आरक्षण बिल से फायदा मिलेगा? जिस मकसद से भाजपा ने आरक्षण बिल को आनन-फानन पास करवाया है।

यह तो तय है कि आरक्षण बिल सवर्णों को मिले या ना मिले। सवर्ण हमेशा से भाजपा का वोटर रहा है। 10% बिल के बाद भी वह भाजपा का सपोर्टर रहेगा उसका वोटर भी रहेगा। इससे भाजपा को बहुत ज्यादा लाभ होते हुए नहीं दिख रहा है।

हां यह बात तय है कि गैर सवर्णों से भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि यदि 12 से 15% स्वर्ण भारत में हैं। तो 85% जनता इस बिल के कारण या तो आहत है या फिर विरोध में है।

संविधान के मुताबिक आरक्षण क्या है?

मैं बता दूं कि आरक्षण जो संविधान की मंशा के अनुरूप एससी एसटी और ओबीसी को दिया गया था। इसका जन्म दरअसल आजादी के पहले मिले हुए कम्युनल अवॉर्ड से हुआ.

उसके बाद पूना पैक्ट में पारित कंडिकाओं के अनुरूप संविधान में आरक्षण शामिल किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अछूत जातियों में प्रतिनिधित्व के सवाल को लेकर मुद्दा उठाया गया था। जिसे स्वीकार करते हुए कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई और जिस पर गांधी का अनशन फिर पूना पैक्ट और इसके बाद संविधान में आरक्षण की धाराएं जोड़ी गई।

आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कभी भी नहीं रहा है।

बता दू इन सारे पहलू में आरक्षण कहीं पर भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। यह दरअसल छोटी-छोटी पिछड़ी सामाजिक रूप से दलित पतित जातियों को विभिन्न सरकारी पदों में हिस्सेदारी या प्रतिनिधित्व के रूप में जोड़े जाने का प्रयास था। ताकि उन्हें मुख्यधारा मे लाया जा सके.

आरक्षण के बारे में संविधान का मत निम्नलिखित है.

1 आरक्षण एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है।

2 आरक्षण सामाजिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है।

3 संविधान में आरक्षण पूना पैक्ट के समझौते के अनुसार दिया गया है।

4 आरक्षण धर्म ग्रंथों के अनुसार दमित छुआछूत के शिकार हुए लोग और समाज के हाशिए के लोगों को दिया गया जिन्हें कभी भी किसी प्रकार का कोई सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं था।

डॉ अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व के सवाल को लेकर बात रखी थी उनका कहना था कि 10 से 12% सवर्णों का 90% संसाधनों में कब्जा है वे तमाम सरकारी विभागों में चाहे न्यायपालिका हो चाहे मंत्रालय हो चाहे कर्मचारी हो तमाम जगह वही हैं और दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व इन क्षेत्रों में बहुत ही कम है। दरअसल इसलिए आरक्षण की व्यवस्था का उन्होंने प्रावधान रखा था। आजादी के बाद से 49.5 परसेंट आरक्षण दिए जाने के बावजूद सवर्ण जो ऊंचे पदों में विराजमान हैं उन्होंने किसी ना किसी प्रकार से इस आरक्षण को लागू होने नहीं दिया। आइए जानते हैं कि वह किस प्रकार इस आरक्षण को शत प्रतिशत लागू होने से रोके रहे हैं।

1 आरक्षण का रोस्टर बनाने में गड़बड़ी रोस्टर छोटे संख्या में बनाया गया है या विभाग बार या विभाग के बजाय उपविभाग बार बनाया गया ताकि रक्षित पदों की संख्या कम होती जाए।

2 तमाम यूनिवर्सिटी से लेकर के बड़े पदों में योग्य उम्मीदवार नहीं है कहकर पद को खाली रखा गया या फिर सवर्णों के द्वारा भर दिया गया जो कि पूरी तरीके से गैरकानूनी है प्रतिनिधित्व के सवाल में योग्यता कोई मायने नहीं रखता है।

3 बैकलॉग को जानबूझकर नहीं भरा गया या उसकी भर्तियां नहीं निकाली गई ताकि कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति पदस्थ ना हो पाए।

4 आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना था। एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया लेकिन मनुवादी मानसिकता के जजों ने इसे 50% पर रोक दिया। जबकि नियमानुसार ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए था लेकिन उन्हें 27% ही आरक्षण दिया गया यह आरक्षण प्रतिशत संविधान की भावना के विपरीत था।

5 इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने तो जनरल कैटेगरी में आरक्षित वर्गों का प्रवेश ही रोक दिया यानी यानी 12% सवर्णों के लिए 50% सीट आरक्षित कर दिया।

6 जाति प्रमाण पत्र में रोड़े लगाए गए संविधान की भावना के विपरीत जाति प्रमाण पत्र को बेहद कठिन बना दिया गया। SC/ST जाति प्रमाण पत्र के लिए 1950 के पूर्व के दस्तावेज मांगे जा रहे है, जबकि एक सफाई कामगार एक बहुत ही दलित व्यक्ति के लिए पुराने दस्तावेज उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वह जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाता है। इस प्रकार करीब 50% दलितों को आरक्षण से महरूम रखा गया है।

यह प्रचारित किया जा रहा है कि राजनीतिक मकसद से 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया ताकि एट्रोसिटी एक्ट लागू करने पर नाराज हुए सवर्णों को खुश किया जा सके। लेकिन इसके कई पहलू भी हैं यह खुले तौर पर संविधान संशोधन करने के लिए उनकी जो मंशा रही है उस का यह प्रयोग भी है। कि वह किस प्रकार से संविधान की मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। यदि यह प्रयोग सफल होता है और दोबारा भाजपा सत्ता में आती है तो पूरे संविधान को बदला जा सकता है।

सवर्णों को 10% आरक्षण देना यानी जनरल केटेगरी जिसमें एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक भी भाग्य आज़मा सकते हैं। उसमें से यानी 50 परसेंट से दस परसेंट कम करके 40 परसेंट कर देना है।

आज आप देख सकते हैं कि कोई भी सवर्ण मैला उठाने के लिए सीवर लाइन में नहीं उतरता है ना ही रिक्शा चलाता हुआ दिखता है। ना ही पशुओं के चमड़े उतारने का घिनौना काम करता है। सामाजिक रूप से शोषित और पीडित भी नहीं है। सवर्णों का सम्मान कभी भी गरीबी के कारण कम नहीं हुआ है ना ही उनका कभी सामाजिक शोषण हुआ है।

यदि प्रतिनिधित्व के सवाल को लेकर भी देखा जाए तो वे अपने प्रतिशत के अनुपात में कई गुना ज्यादा प्रतिनिधित्व विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। ऐसी स्थिति में सवर्णों को 10ब आरक्षण देने का मतलब होता है कि वास्तविक दबे कुचले पिछड़े लोगों को और शोषण गुलामी की कगार में लाकर खड़ा कर देना। खासकर ऐसे वक्त जब किसी ना किसी प्रकार से दलितों पिछड़ों के आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है।

महिला आरक्षण विधेयक पर सवाल

सवर्णों का आरक्षण विधेयक उस समय आनन-फानन में पास किया गया जब इससे ज्यादा जरूरी महिलाओं का 33% आरक्षण विधेयक 4 साल से संसद में लंबित है यह इस बात को बताता है कि तत्कालीन सरकार की भावना क्या है वह महिलाओं के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती है।

ऐसे समय जब तमाम बड़े मुद्दों पर काम करने की जरूरत है चाहे शिक्षा गरीबी बेरोजगारी या फिर स्वास्थ्य का मामला हो। भारत लगातार संप्रदायिक मुद्दों से जूझ रहा है, और आपसी सामाजिक सौहार्द्रता पर कड़वाहट बढ़ रही है। ऐसे समय में सवर्णों द्वारा आरक्षण की मांग किए बिना उन्हें 10% आरक्षण देना रहस्यमय है। यह प्रश्न मुंह बाए खड़ा है क्या जो *सवर्ण आरक्षण को देश के पिछड़ेपन का आधार बताता रहा है। आरक्षित वर्गों को जलील करता रहा है। क्या वह इस आरक्षण को स्वीकार कर पाएगा।

मोदी के साढ़े 4 साल के कार्यकाल में भारत सरकार पर 49 फीसदी कर्ज बढ़ा है

गिरीश मालवीय

केंद्र सरकार ने कर्ज पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट का आठवां संस्करण जारी किया है जिसके मुताबिक जून, 2014 में सरकार पर कुल कर्ज 54,90,763 करोड़ रुपये था, जो सितंबर 2018 में बढ़कर 82,03,253 करोड़ रुपये हो गया है। यदि इस कर्ज को देश की 134 करोड़ की आबादी से डिवाइड करें तो हर नागरिक पर लगभग 61 हजार रुपये का कर्ज है।

व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मोदी समर्थक अब तक तो यह बताते आए हैं कि मोदीजी ने सारा विदेशी कर्ज चुका दिया और कोई नया कर्ज भी नही लिया. ..... खैर ऐसे झूठ की पोल तो बहुत बार खुल चुकी है लेकिन इस बढ़ते हुए कर्ज के आंकड़े से कुछ बेहद महत्वपूर्ण बाते निकल कर आती हैं।

2014 में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी से एक साल से भी कम समय में कच्चे तेल की कीमत 114 डॉलर प्रति बैरल से 53 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। बड़े स्तर पर सोशल सेक्टर में निवेश के लिए बेकरार और राजकोषीय घाटे से जूझ रही सरकार के लिए यह किसी तोहे से कम नहीं था।

2015 में एक चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो एक भाग्यशाली प्रधानमंत्री हैं, जिसके आने से कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं और सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।

90 फ़ीसदी से अधिक तेल इंपोर्ट करने वाले देश को अगर आधी कीमत पर तेल मिलने लगे तो सरकारी खजाना तो बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए था।

अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए...

2014 से 2017 के बीच पेट्रोल-डीज़ल पर 9 बार उत्पाद कर (एक्साइज़ ड्यूटी) बढ़ाया गया। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच पेट्रोल पर ये बढ़ोतरी 11 रुपये 77 पैसे और डीज़ल पर 13 रुपये 47 पैसे थी। जबकि पेट्रोल डीजल के दामो में इस दौरान लगभग सिर्फ 2 रुपये की कटौती की गयी।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की केंद्र सरकार को मिलने वाला राजस्व लगभग तीन गुना बढ़ गया था। 2015-16 से 2017-18 के बीच सरकार के खजाने में तेल की बिक्री से करीब 14.88 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुके थे....

यानी फायदा दो स्तर पर हुआ, एक तो कच्चे तेल की कीमत 60 प्रतिशत तक घट गयी और उसके बाद एक्साइज ड्यूटी लगा कर दो सालों में सरकारों के खजाने में करीब 15 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी भी हुई....

यानी कच्चे तेल का आयात बिल जो देश के सबसे बड़े खर्चों में शुमार किया जाता है उसके अंतर्गत मोदी सरकार को बेतहाशा फायदा हुआ लेकिन उसके बावजूद आज हमें यह पता चल रहा है कि सरकार पर 49 फीसदी का कर्ज बढ़ गया है, यह कैसे हो गया? यह कोई हार्वर्ड वाला हमे नही बतला सकता, ऐसा अर्थशास्त्र शायद चायवाला ही समझा सकता है।

मोदी जी ने 57 मिनट के भाषण मे 48 बार कांग्रेस नाम लिया और कहा कि अब काँग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं

भारत के किसी भी दल में नहीं है आंतरिक लोकतंत्र

रवीश कुमार

लोकतंत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। मनोनयन की नहीं। इस लिहाज़ से राहुल गांधी और अमित शाह दोनों ही मनोनयन से अध्यक्ष बने हैं निर्वाचन से नहीं। यानी कोई चुनाव नहीं हुआ है। बेशक राहुल गांधी परिवार से आते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि अमित शाह चुनाव से अध्यक्ष बन गए हैं। वे परिवार की जगह किसी की ख़ास पसंद के कारण बनते हैं। मैं इसे यारवाद कहता हूं। परिवारवाद और यारवाद में अंतर हो सकता है मगर दोनों के अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। दोनों मनोनित हैं। निर्वाचित नहीं।

अध्यक्ष के तौर पर खुद को राहुल गांधी से अलग बताने वाले अमित शाह बता दें कि वे किसके खिलाफ़ चुनाव लड़कर अध्यक्ष बने थे? क्या वे संघ और मोदी की पसंद के बग़ैर एक मिनट भी अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं।

भारत के किसी भी दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। सिद्धांत रूप में इसे स्वीकार कर लेने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब चयन की प्रक्रिया से है। किसी भी दल में चुनाव नहीं होता है। इस आधार पर भारत के सभी दलों ने निराश किया है, अगर उनके समर्थकों को इन बातों से निराशा होती है तो।

राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस में चुनाव कराने का प्रयास किया और के जे राव पूर्व चुनाव अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। कई नेता उस चुनाव की प्रक्रिया से चुने गए और बाद में राहुल गांधी ने यह प्रयोग छोड़ दिया। मोदी और अमित शाह बता सकते हैं कि उन दोनों ने इस तरह का प्रयोग किया है या नहीं।

कांग्रेस में सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव का सामना करना पड़ा था। वो चुनाव गंभीर हो गया था। जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी। जितेंद्र प्रसाद हारे मगर कांग्रेस से निकाले नहीं गए। जितेंत्र प्रसाद कांग्रेस में ही रहे और उनकी पत्नी सांसद चुनाव लड़ी। उनके बेटे शाहजहांपुर से सांसद बने और मंत्री भी बने। मगर सोनिया गांधी को चुनौती देने वाले जितिन प्रसाद का भी एक परिवार बन गया। राजेश पायलट ने भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। उनके निधन के बाद पत्नी सांसद बनीं और बेटे सचिन पायलट इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं। गांधी परिवार को चुनौती देने वालों का भी एक परिवार है।

कांग्रेस में परिवारवाद ज्यादा है मगर किसी और दल में कम है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जयंत सिन्हा खानदानी हैं। निर्मला सीतारमण के ससुर कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे हैं। पति दो बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। एक बार भाजपा से चुनाव लड़े। तीनों में हार गए। पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल भाजपा में थे। रविशंकर प्रसाद के पिता ठाकुर प्रसाद बिहार में संघ को स्थापित करने वाले लोगों में गिने जाते हैं। बीजेपी के उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की मां विजयाराजे बीजेपी की संस्थापक सदस्य थीं। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सांसद हैं। अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और पुत्र सांसद। 2017 में यूपी में चुनाव हो रहा था। चंद रोज़ पहले कल्याण सिंह के पोते संदीप को टिकट मिलता है। चुनाव जीतते हैं और सीधे मंत्री बन जाते हैं। संदीप के पिता सांसद हैं। कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव में अपने बेटे को टिकट दिलवाया। वे विधायक बन गए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण बीजेपी से दिये जा सकते हैं। हर दल से दिए जा सकते हैं।

बीजेपी के सहयोगी दल अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी, शिव सेना में भी परिवारवाद है। वहां भी ठाकरे की जगह ठाकरे अध्यक्ष हुए हैं और बादल की जगह बादल और पासवान की जगह पासवान। बीजू जनता दल का भी यही हाल है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया। महबूबा भी परिवारवाद के कोटे से आती हैं। अपना दल में कोई और अध्यक्ष नहीं बनेगा। अनुप्रिया पटेल ही बनेंगी। इस तरह के उदाहरण और दिए जा सकते हैं। राजद, तृणमूल, नेशनल कांफ्रेंस, सपा। इनमें से किसी भी दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है यानी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होता है।

क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये लाइन ले सकते हैं कि वे अपनी पार्टी के परिवारवाद को खत्म कर देंगे और परिवारवादी दल से कोई गठबंधन नहीं करेंगे? क्या दोनों के लिए परिवारवाद का मुद्दा सिर्फ राहुल और प्रियंका के लिए है? क्या वे इसी आरोप को गांधी, पासवान, ठाकरे, यादव, पटेल, बादल, नायडू का नाम लेते हुए परिवारवाद को खत्म करने की अपील जनता से कर सकते हैं? दोनों की राजनीति ही खत्म हो जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी को प्रचंड बहुमत मिला। उन्होंने राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा कानून पास करवा दिया कि कौन चंदा देगा अब कोई नहीं जान सकेगा। सभी राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसका 50 फीसदी हिस्सा अज्ञात सोर्स से आता है। क्या ये दोनों व्हीप सिस्टम खत्म कर सकते हैं? क्यों लोकसभा या राज्यसभा में वोट के समय व्हीप जारी होता है, किसी सांसद को अपने विवेक के आधार पर खिलाफ वोट करने का अधिकार क्यों नहीं है? इसलिए इन दोनों की दिलचस्पी न तो आंतरिक लोकतंत्र लाने में है और न ही पारदर्शिता लाने में। केवल भाषण देने में हैं।

राहुल गांधी भी ऐसा नहीं करेंगे और न अरविंद केजरीवाल। इस वक्त परिवारवाद से तीन ही दल बचे हैं। जद यू, सीपीएम और आम आदमी पार्टी। बसपा को भी आप इस श्रेणी में डाल सकते हैं। कांशीराम के बाद मायावती अध्यक्ष बनी थीं। वो किसी ख़ानदान की नहीं थीं। कांशीराम तमाम उदाहरणों में सबसे पवित्र हैं। अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा। उंगली उठाकर किसी को विधायक बना देने वाले कांशीराम ने अपने परिवार के लोगों को विधानसभा या लोकसभा नहीं भेजा। लेकिन मायावती के रहते मायावती ही अध्यक्ष रहेंगी। बसपा की यह विशेषता संकुचित हो चुकी है।

एक सामान्य कार्यकर्ता और नागरिक को परिवारवाद को लेकर चिन्तित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर राजनीति परिवारों के हवाले होती जाएगी तो इसमें नई प्रतिभा का जन्म नहीं होगा। राजनीति बंधक हो जाएगी। जो कि हो चुकी है। इस सवाल को लेकर बेहद ईमानदारी और गंभीरता की ज़रूरत है। परिवारवाद ही नहीं, पैसावाद भी चुनौती है। पैसा नहीं है तो आप ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे।

न्यूयार्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक किताब लिखी है। अपने शोध में बताया है कि 2004,2009, 2014 में लोकसभा के करीब 20 से 30 सांसदों की पृष्ठभूमि खानदानी थी। गनीमत है कि लोकसभा के स्तर पर यह बीमारी अभी फैली नहीं है। अभी भी 80 फीसदी सांसद ग़ैर पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं।

एक नागरिक और कार्यकर्ता के रूप में सतर्क रहना चाहिए कि राजनीति चंद परिवारों के हाथ में न रह जाए। लेकिन इस सवाल पर बहस करने के लिए योग्य न तो अमित शाह हैं, न नरेंद्र मोदी और न राहुल गांधी। सिर्फ जनता इसकी योग्यता रखती है जिसका कोई परिवार नहीं होता है। जब तक ये नेता कोई साफ लाइन नहीं लेते हैं, परिवारवाद के नाम पर इनके बकवास न सुनें। टीवी बंद कर दें। क्या जनता परिवारवाद, यारवाद और पैसावाद को लेकर चिन्तित है? जनता ही बता सकती है।